रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 11] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जनवरी 6, 1972/पौष 16, 1893
No. 11] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 6, 1972/PAUSA 16, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

ORDER

EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 6th January 1972

S.O. 17(E).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports Control Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) First Amendment Order, 1972.
2. In Part 'B' of Schedule to the Exports (Control) Order, 1968 item No. 72 should be amended to read as:—

"72. Cardamom, Small and Large".

[No. E(C)O, 1968/AM(71).]

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

आदेश

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1972

का० आ० 17(अ).—आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 में और संशोधन करने के लिये एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है अर्थात् :—

1. इस आदेश का निर्यात (नियंत्रण) प्रथम संशोधन आदेश, 1972 की संज्ञा दी जाये ।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1968 की अनुसूची के भाग 'बी' में मद सं० 72 को निम्नलिखित के रूप में पढ़ने के लिये संशोधित किया जाना चाहिये :—

"72. इलायची छोटी तथा बड़ी" ।

[सं० ई(सी) ओ, 1968/ए एम(71)]

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972